न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 206/2023 निर्णय दिनांकः– 28-01-26
(जीसीएमएस संख्या 2023/278)

1. नीतुबाला पत्नी विजय कुमार पारीक निवासी इन्द्रा कॉलोनी, रामदेव मंदिर के पास, बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 26–06–2015
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 26–06–2015 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में चक 1 एस.एच.एम. 19(बी) के मुरब्बा नम्बर 29/7 की 8 बीघा 16 बिस्वा कमाण्ड तथा 15 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड कुल 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर का पत्रांक एफ–12 (क) 11/सप्र/11/263 दिनांक 13–03–2012 प्राप्त होने पर पेश हुई। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01–05–2010 को किये गये विशेष आवंटन एवं विशेष आवंटन हेतु आमंत्रित प्रार्थना पत्र में अनियमितता की शिकायत होने पर श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर द्वारा उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 1 के आमंत्रित विशेष आवंटन प्रार्थनापत्रों एवं आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 01–05–2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थनापत्रों को बाद जाचं आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किये गये है। अतः अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी भूमि आवंटन करवाने का पात्र है क्योंकि प्रार्थी का पेशा खेती है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रस्तुत की गई। है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का रूप है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील तहसील कोलायत कोलायत में चक 1 एस.एच.एम. 19(बी) के मुरब्बा नम्बर 29/7 में भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता) बीकानेर ने अपने पत्र से दिनांक 01—05—2010 को किये गये विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों को बाद जांच आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किये गये है अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का आवंटन पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01—05—2010 से प्राप्त विशेष आवंटन हेतु अपीलांट प्रार्थना पत्र व किये गये विशेष आवंटनों को अनियमितता के आधार पर निरस्त घोषित कर दिये गये थे।

इस संबंध में हमने आयुक्त उपनिवेशन के पत्रांक एफ.12.(ब 11) सप्र/उप/11/261 दिनांक 13—03—2012 का अवलोकन किया। इसके अवलोकन से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 1 के लिए आमंत्रित विशेष आवंटन प्रार्थना पत्रों व आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 01—05—2010 द्वारा किये ये आवंटन को निरस्त योग्य होने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के कारण निरस्त कर दिये गये थे तथा उक्त समस्त भूमि का नियमानुसार विशेष आवंटन हेतु नये सिरे से आवंटन पत्र आमंत्रित करने की अधिसूचना जारी कर पुनः आवंटन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

7. इस सूरत में अपीलांट अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। तदनुसार अपीलांट की अपील निस्तारित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 24-01-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर